



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
KADAR NAWAZ KHAN
कार्यकारी कुलसचिव
ACTING REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.प.ग./10(III)/2019/10

दिनांक : 03.12.2019

कार्यालयादेश

अधिष्ठाता भाषा विद्यापीठ के रूप में 3 वर्षीय अवधि पूर्ण होने के बाद उसकी निरंतरता में दिनांक 16.07.2019 से 3 वर्ष (Consecutive three years) के लिए प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल को भाषा विद्यापीठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधिष्ठाता की अवधि की निरंतरता के आधार पर विश्वविद्यालय के परिनियम-12(1)(iii) के प्रावधान के तहत माननीय कुलपति द्वारा चक्राधार पर वरिष्ठतानुक्रम में, विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद में प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ को, कार्य-परिषद की सदस्यता के पूर्ण होने की तिथि (31.07.2021) तक के लिए सदस्य नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति,

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)
03/12/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. संयुक्त सचिव, (के.वि.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
4. श्री विजय कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
5. कार्य-परिषद के समस्त सदस्यगण
6. कुलपति कार्यालय
7. कुलसचिव कार्यालय
8. वित्ताधिकारी कार्यालय
9. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
10. सामान्य प्रशासन विभाग
11. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति।